बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
आदेश

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020– 46/वि०स०को० पटना, दिनांक– 05 मई, 2021

राज्य में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक–2835, दिनांक–04.05.2021 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत हैं।

एतद् द्वारा उक्त आदेश में निम्न संशोधन किए जाते हैं :–

1. आदेश की कंडिका 1 के अपवाद में राज्य सरकार के निम्न कार्यालयों को शामिल किया जाता है :–
   i. खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय;
   ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय;
   iii. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यों के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय का संचालन;
2. आदेश की कंडिका 2 के अपवाद में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ शामिल किए जाते हैं।
3. आदेश की कंडिका 5 के अपवाद में वन प्रबंधन में संलग्न वाहन शामिल किए जाते हैं।
4. आदेश की कंडिका 7 में निम्न वाक्यांश अंतःस्थापित किया जाता है :–
   '' होटल का संचालन अतिथि के लिए In-room Dining के साथ अनुमान्य होगा।''
5. विभागीय आदेश ज्ञापांक–2835, दिनांक– 04.05.2021 के शेष आदेश यथावत रहेंगे।

5/5/21
(त्रिपुरारि शरण)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020– 46/वि०स०को० पटना, दिनांक 05 मई, 2021

प्रतिलिपिः– सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020– 46/वि०स०को० पटना, दिनांक 05 मई, 2021

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–02/2020– 46/वि०स०को० पटना, दिनांक 05 मई, 2021

प्रतिलिपिः– गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।